



न्यायालय श्रीमान् सद्यस्य महोदय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प, तागर

कल्लू पटेल तनय बुआराम पटेल

निवासी दिवलीपुरवा मौजा हिम्मतपुर,

तहसील लौड़ी जिला छतरपुर म.प्र.

... आवेदकगण

॥ बनामा ॥

1. मुसो चुनवादी बेवाप्यारेलाल तिवारी

निवासी हिम्मतपुर तहसील लौड़ी जिला छतरपुर

2. राजाराम तनय प्यारेलाल तिवारी

निवासी ग्रामहिम्मतपुर तहसील लौड़ी जिला छतरपुर

.. अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959

विरुद्ध अपर कलेक्टर छतरपुर के प्र०क्र० 96/स्व. निग./अ-6

-वर्ष 2004-05 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2013 से

दुखित होकर ।

मान्यवर महोदय,

अपवेदकगणों की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम हिम्मतपुर में स्थित भूमि ख.नं. 159, एवं 160 रकबा क्रमशः 1.189 हे० व 0.324 हे०

भूमि अनावेदक कृ.। चुनवादी के नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व

पर दर्ज थी, उक्त जमीन को उसने वर्ष 86-87 से लगातार 2000-01 तक अपने

पास रखा बाद में अर्थात् वर्ष 2002 में उक्त भूमि ~~ख.नं.~~ ख.नं. 159/1 रकबा

0.784 हे० में से रकबा 0.648 हे० भूमि 71,500/-रु० में रजि० विक्रयपत्र

के माध्यम से आवेदक को विक्रय कर दी थी तथा उक्त भूमि का नामांतरण

नायब तहसीलदारचंदला द्वारा अपने न्यायालय के रा०प्र०क्र० 533/6 वर्ष

2002-03 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2003 द्वारा आवेदक के नाम

R-13 29-III 13

श्रीमान् न्यायालय  
ग्वालियर केम्प  
12-3-13

28-3-13

Recd  
12/3/13

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्रमांक :- निगरानी-1329-दो / 2013

जिला-छतरपुर

कल्लू पटैल विरुद्ध मुस. चुनवादी व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 96/स्व.निग./अ-6/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 21-01-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10-10-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>